न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 48 / 2024	05.08.2024	26.12.2024

1–संजय पुत्र औमलता पिता ईश्वरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कवांली तहसील रेवाडी जिला रेवाडी प्रान्त हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1–देवेन्द्र पुत्र मूलिया जाति ब्राहम्ण,
2–रामनिवास पुत्र मूलिया जाति ब्राहम्ण,
3–महेन्द्र कुमार पुत्र मूलिया जाति ब्राहम्ण निवासीयान वार्ड न0 9 पुराना जैन मंदिर के पास तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राज0)

असल रेस्पोडेन्टान

4–श्रीमती सीमा शर्मा पुत्री ईश्वरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी हाल बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राज0)

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार तिजारा नामान्तकरण संख्या 845 निर्णय दिनाक 05.02.1984 वाके ग्राम तिजारा जिसके द्वारा मूलिया पुत्र अर्जन की विरासत गलत तरीके से रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार किया गया है, को निरस्त किये जाने।

उपस्थितः–

01. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा –वकील अपीलान्टान

02. श्री रामेश्वर दयाल –रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के विरूद्व निर्णय दिनाक 05.02.1984 नामान्तकरण संख्या 845 जिसके द्वारा मूलिया पुत्र अर्जन की विरासत गलत तरीके से रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में दर्ज कर स्वीकार किया गया है, व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट संजय पुत्र औमलता पिता ईश्वरदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी कंवाली तहसील रेवाडी जिला रेवाडी द्वारा एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष तहसीलदार तिजारा के द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 नामान्तकरण संख्या 845 वाके ग्राम तिजारा के विरूद्व पेश की गयी। प्रस्तुत अपील में न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के द्वारा दिनाक 08.02.2021 को विधिवत निर्णय पारित कर अपील अपीलान्ट सारहीन व तथ्यहीन होने के कारण खारिज की गयी। न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.02.2021 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहा पेश की गयी माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनाक 27.06.2023 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.02.2021 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि

प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया गया है, कि मूलिया की मृत्यु के समय उसके पॉच वारिस जिन्दा मौजुद थे, जिनमें मूलिया की बेवा श्रीमती चमेली व तीन पुत्र व एक पुत्री कमशः देवेन्द्र कुमार, रामनिवास, महेन्द्र कुमार पुत्रान मूलिया एवं औमलता पुत्री मूलिया जीवित मौजुद थे, लेकिन बदयान्ती रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3 ने मूलिया मृतक की विरासत का नामान्तकरण अपने व मृतक चमेली के नाम बमिल्लत खुलवा लिया और बाला–बाला मिन अपीलान्ट की माता का हक व अधिकार समाप्त करने की नियत व गर्ज से मिन अपीलान्ट की माता का नाम दर्ज नही कराया जो रेस्पोडेन्टान की बदयान्ती पर आधारित है। मृतक मूलिया की विरासत में मिन अपीलान्ट का हक बराबर यानि 1/5, 1/5 था लेकिन बरायबदयान्ती नामान्तकरण दर्ज नही किया गया जबकि कानूनन मिन अपीलान्ट की माता का नाम दर्ज होना आवश्यक था। चूकि मूलिया की बेवा श्रीमती चमेली देवी का स्वर्गवास सन 2014 में हो गया और उसकी विरासत का नामान्तकरण भी असल रेस्पोडेन्टान अपने हक में खुलवाने की जुस्तजू में लगे हुऐ है, जिस पर पटवारी हल्का ने साफ इंकान कर दिया कि मृतक की मृतक की एक लडकी औमलता और है, उसका पहले नामान्तकरण में नाम दर्ज नही हुआ है, और अब मेरी जानकारी में आ गया है। इस लिए बहन का भी नाम दर्ज किया जावेगा। तो रेस्पोडेन्टान मिन अपीलान्ट के बाला–बाला नामान्तकरण की कार्यवाही कराना चाहते है, जो असफल हो गई और मृतक मूलिया तक के विरासत के नामान्तकरण की जानकारी तक मिन अपीलान्ट को हो गयी। इस लिये अपील करना लाजिम आया। मूलिया की विरासत का नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करते समय कोई नोटिस नही दिया और न ही वारिसान की जॉच की है, चूकि अपीलान्ट की माता श्रीमती औमलता पुत्री मूलिया पत्नी ईश्वर का स्वर्गवास दिनाक 28.04.2009 को हो गया है, इस लिए प्रस्तुत अपील मिन अपीलान्ट को करना लाजिम आया है, क्योकि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट श्रीमती औमलता के वारिस है, और मृतक मूलिया की विरासत में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का मृतक औमलता के हिस्से पर हक व अधिकार है। अपीलाधीन आदेश बगैर मिन अपीलान्ट जरिये अपीलान्ट मृतक माता श्रीमती औमलता पुत्री मूलिया जाति ब्राहम्ण को सूचना दिये पारित किया गया है, और न ही मृतक मूलिया के वारिसान की जॉच की गयी है। जबकि मिन अपीलान्ट की माता श्रीमती औमलता पत्री मूलिया सन 1984 में जिन्दा थी, अपने पिता के स्वर्गवास होने के काफी समय बाद श्रीमती औमलता का स्वर्गवास दिनाक 28.04.2009 को हुआ है, लेकिन बगैर वारिसान की जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 27.02.2018 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट श्रीमती चमेली बेवा मूलिया के नामान्तकरण की जानकारी करने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि चमेली बेवा मूलिया का नामान्तकरण रेस्पोडेन्टान ने अपने नाम दर्ज व तस्दीक कराने की कोशिश में है, जबकि मूलिया के अन्य भी वारिसान है। पूर्व में भी मूलिया की विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट असल ने अपने नाम दर्ज तस्दीक करा लिया है। इस बात को सुनकर मिन अपीलान्ट ने मृतक मूलिया के विरासत नामान्तकरण की जानकारी का पता चला कि असल रेस्पोडेन्टान ने दिनाक 05.02.1984 को बगैर कोई सूचना व जॉच के अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करा लिया जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु रिकार्ड उपलब्ध होने से नकल प्राप्त नही हो सकी तथा मिन अपीलान्ट ने जॉच पडताल की एवं उक्त नामान्तकरण की नकल हेतु दिनाक 06.03.2018 को अलवर में आकर रिकार्ड से नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो नकल उसी दिन सांयकाल प्राप्त हुई जिसके पश्चात अभिभाषक से सलाह मशवरा किया तथा आवश्यक इंतजाम किया गया। जिस पर बिना देरी किये जानकारी की दिनाक से अपील अंदर मियाद पेश की गयी है। गैरकानूनी तरीके से तस्दीक किये गये नामान्तकरण की कोई मियाद नही होती है, फिर भी रफाए हुज्जत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का

प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश कर निवेदन है कि मियाद दिनाक 05.02.1984 से जानकारी के दिन व अपील प्रस्तुत किये जाने के दिन तक कण्डोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 नामान्तकरण संख्या 845 वाके ग्राम तिलारा को निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका सरसम्मान अवलोकन किया गया :-

आर.आर.टी 2018 पार्ट प्रथम पेज 186, आर.आर.डी 2008 आर.बी.सी 761 आर.आर.डी 1998 R. High 319, Technical Grund आर.आर.डी 2012 पेज 420, 422

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 की जानकारी अपीलान्ट की माता को पूर्व से ही रही है, तथा अपीलान्ट की माता औमलता ने मृतक मूलिया की विरासत का नामान्तकरण के विरूद्व अपने जीवनकाल में कोई अपील दायर नही की है तथा अपीलान्ट की माता के देहान्त के करीब 9–10 वर्ष पश्चात अपीलान्ट ने बदनियतिपूर्वक न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि विलम्ब का कारण दिन प्रतिदिन के हिसाब से बताना कानूनन आवश्यक होता है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई संतोषजनक कारण नही बताया गया है। जिससे अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद माना जा सके। अपीलाधीन नामान्तकरण दिनाक 05.02.1984 का है, जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा असाधारण विलम्ब लगभग 34 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्टान द्वारा अपने कथन की पुष्टि में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :-

आर.आर.टी 2017 पार्ट प्रथम पेज 252, आर.आर.टी 2017 पार्ट प्रथम पेज 117, आर.आर.टी 2024 (1) 653, Air. 1998 {S.c} 2276, D.n.j 2009 {S.c} 846,आर.आर.टी 2017(1) 711, 2016–17 {supp.} r.r.t 158

वकील अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में कथन किया है, कि पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 की जानकारी अपीलान्ट की माता को पूर्व से ही रही है, तथा अपीलान्ट की माता औमलता ने मृतक मूलिया की विरासत का नामान्तकरण के विरूद्व अपने जीवनकाल में कोई अपील दायर नही की है, तथा अपीलान्ट की माता के देहान्त के करीब 9–10 वर्ष पश्चात अपीलान्ट ने बदनियतिपूर्वक 34 वर्ष पश्चात यह अपील न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। जबकि विलम्ब के मामलो में विलम्ब का कारण दिन–प्रतिदिन के हिसाब से बताना कानूनन आवश्यक होता है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई संतोषजनक कारण नही बताया गया है। जिससे अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद माना जा सके। हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकील अपीलान्टान द्वारा यह अपील न्यायालय को दिनाक 20.03.2018 पेश की गयी है। जो करीब 34 वर्ष अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 27.02.2018 को होना दर्शाया गया है। अपीलान्ट ने अपनी माता मृतक औमलाता पुत्री मूलिया का देहान्त दिनाक 28.04.2009 को होना बताया है, जो करीब 25 वर्ष बाद देहान्त हुआ है। अपीलान्ट की इस दलील से सहमत नही की तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में थी, अपीलान्ट द्वारा यह अपील जानबुझ कर विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में दिन प्रतिदिन का ब्यौरा पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है, जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही

है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 05.02.1984 नामान्तकरण संख्या 845 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)